सं0-34 /2023/ /001-610-23-12-2023-850-18

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊः दिनांक 08 मई, 2023**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में वाह्य सहायतित परियोजना अन्तर्गत चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के 05 चालू कार्य पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियनता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-4013/सीई-एचक्यू1/एडीबी/डब्लूबी/2022-23, दिनांक 29.04.2023, पत्रांक-4091/सीई-एचक्यू1/एडीबी/डब्लूबी/2022-23, दिनांक 02.05.2023 तथा पत्रांक-4128/सीई-एचक्यू1/एडीबी/डब्लूबी/2022-23, दिनांक 03.05.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में एशियन विकास बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग सुधार परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं अधोतालिका में अंकित 05 चालू कार्य हेतु रू0 728.10 लाख (रूपये सात करोड़ अटठाइस लाख दस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति का शासनादेश/दिनांक	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	विश्व बैंक खण्ड कानपुर।	हुसैनगंज-अलीपुर-हठगांव मार्ग (एम0डी0आर0-81सी) के चैनेज 0.00 से 49.00 कि0मी0 तक उच्चीकरण का कार्य	1069/23-12-15-165/15(आर) दिनांक 25.08.2015	15383.68	14491.13	**92.70**
2	विश्व बैंक खण्ड कानपुर।	एशियन एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मोहनलगंज-मौरांवा-उन्नाव मार्ग (एम0डी0आर0-52सी) के चैनेज 1.310 से 54.114 किमी0 (चैनेज 8.000 से चैनेज 13.000 को छोड़कर) (कुल लम्बाई 47.804 किमी0) तक के	39/2018/ 1188/23-12-18-1387/2016, दिनांक-08.06.2018	27056.00	24784.95	**225.90**
3	विश्व बैंक खण्ड अलीगढ़।	बुलन्दशहर-अनूपशहर मार्ग (एम0डी0आर0-58डब्लू) के चैनेज 19.900 से 56.020 कि0मी0 तक उच्चीकरण का कार्य	960/23-12-15-84/15 (आर) दिनांक 12.08.2015,	17102.28	16612.17	**157.50**
4	विश्व बैंक खण्ड अलीगढ़	नानऊ-दादऊ मार्ग (एम0डी0आर0-82डब्लू) के चैनेज 0.00 से 30.00 कि0मी0 तक उच्चीकरण का कार्य	960/23-12-15-84/15 (आर) दिनांक 12.08.2015,	16568.96	15720.43	**144.00**
5	विश्व बैंक खण्ड अलीगढ़	एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अलीगंज-सोरों (एम0डी0आर0-45डब्लू) के चैनेज 262.00 से 61.81 किमी0) (कुल लम्बाई 35.510 कि0मी0) तक के अपग्रेडेशन/निर्माण कार्य।	38/2018/1187/23-12-18-1386/2016, दिनांक-08.06.2018-	16253.72	15391.38	**108.00**
			कुल योग	**92364.64**	**87000.06**	**728.10**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगें कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है।

(4) एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित चालू कार्यों पर धनराशि की मांग हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता से मार्ग निर्माण की निरीक्षण रिपोर्ट तथा निर्माणाधीन मार्गों के अद्यतन फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराया जाय।

(5) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-23/2022/बी-1-749/इस-2022-231/2022, दिनांक 04.11.2022 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) विभाग द्वारा एशियन विकास बैंक की गाइड लाइन्स तथा भारत सरकार की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(7) प्रकरण में अन्य प्रर्वतीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उपरोक्त तालिका में अंकित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(10) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष /मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी।

(11) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(12) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर शासन एवं विश्व बैंक को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णता प्रमाण पत्र शासन एवं एशियन विकास बैंक को प्रेषित किया जाय।

(13) प्रश्नगत कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि कोई कार्य नगरीय सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित है, तो प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी रहने तक उक्त कार्यों हेतु कोई धनराशि निर्गत न की जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,28, 10, 000 (रुपये सात करोड़ अटठाइस लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054053379706 एशियन डेवलपमेन्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बैंक सहायतित उ0प्र0 जिला सड़क परियोजना के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

संख्या- 34 /2023/ /001-610(1)/23-12-2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियन्त्रक,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8- मुख्य अभियन्ता(मु0-1),लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।
10- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
13- लोक निर्माण अनु0-10
14- डाटा सेल, नवीन भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in